

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

विषय:- जावित्री फाउण्डेशन द्वारा प्रस्तावित जावित्री इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, कनकहा, रायबरेली रोड, मोहनलालगंज, लखनऊ को नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4272/2020 दिनांक 01.10.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त जावित्री फाउण्डेशन द्वारा प्रस्तावित जावित्री इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, कनकहा, रायबरेली रोड, मोहनलालगंज, लखनऊ में हेल्थ वर्कर (महिला) पाठ्यक्रम में 40 सीट प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता प्रमाण-पत्र /अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

1. संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग कार्डिनल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर पाठ्यक्रम में प्रवेश व संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
 2. इण्डियन नर्सिंग कार्डिनल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीटें अनुमत्य की जायेगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।
 3. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा इण्डियन नर्सिंग कार्डिनल, नई दिल्ली द्वारा प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों/मानकों का अनुपालन पूर्णतः सुनिश्चित किया जायेगा।
 4. संस्था द्वारा अपने चिकित्सालय के पंजीकरण का नवीनीकरण दिनांक 31.12.2020 तक तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण व अग्रिम विभाग से निर्गत प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराकर ही संस्था का संचालन प्रारम्भ किया जाएगा। यदि संस्था द्वारा चिकित्सालयों के सम्बद्धीकरण की सूचना दी गयी है, तो संस्था द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 10.12.2020 तक जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बद्धता का सुस्पष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।
 5. यदि संस्था द्वारा उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी/राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग कार्डिनल, नई दिल्ली के किसी भी दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो संस्था की अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र वापस लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
 6. उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा उक्त शर्तों के अनुपालन हेतु संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा एक सुनिश्चित नीति बनाकर नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थाओं में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों के रांबंद में अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी का होगा।
- 2- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1526(1)/71-4-20-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नर्सिंग कार्डिनल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, जावित्री फाउण्डेशन द्वारा प्रस्तावित जावित्री इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, कनकहा, रायबरेली रोड, मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा सचिव, उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव